कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 01.04.2025

विषय:- गोवध के वांछित/ईनामिया अपराधी थाना रामनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक रामनगर के नेतृत्व में थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 08/2025 धारा- 3/5ए/5बी/ 8 गौ हत्या निवारण अधिनियम से सम्बन्धित इनामिया अपराधी रामप्रवेश कुमार पुत्र सामुराम निवासी ओडासन थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर उम्र 50 वर्ष को कटरिया बार्डर चाय की दुकान के पास हिकमत अमली से एक बारगी दबिश देकर अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -रामप्रवेश कुमार पुत्र सामुराम निवासी ओडासन थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर उम्र 50 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का संक्षिप्त विवरण- दिनांक- 06/01/2025 को उ0नि0 श्री अमीर बहादुर सिंह चौकी प्रभारी कस्बा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी के लिखित फर्द जिसमें 10 राशि गोवंश पशु को वध हेतु पिक अप संख्या UP61BT6835 में वध हेतु लादकर ले जाया जा रहा था। 10 राशि गोवंशीय पशु के बरामद होने पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 0008/2025 धारा 3 / 5ए / 5बी / 8 गौ हत्या निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजू सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री सुधीर कुमार यादव थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 श्री ओम प्रकाश वर्मा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. उ0नि0 श्री अमित कुमार यादव थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
5. का0 अश्विनी सिंह सर्विलांस सेल कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।